

144/2021  
राजेश शर्मा / मुखारी सिंघान

27/9/24  
पत्रावली बंधा हुई, पीतालीन अधिकारी को  
समय/अवसर/सुनने का/अन्य कार्य में  
व्यस्त है। पत्रावली एवं आदेशिका की कतमा में  
अगामी दिनांक 18/12/24 को पेश हो।

18.12.24 पत्रावली में आ- तारीख पेशी तक तलबाना नोटिस  
अनिवार्य रूप से पेश होकर तलबी जरिये नोटिस  
होकर आ- दिनांक 19.3.25 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
टोंक (राज)

15/3/25 पत्रावली पेशी वकिल पक्ष ० अनुपस्थित। कादी/धर्मी  
अधिकारता एवं प्राथमिकता को रक रक कर पार  
वार धावाग लगाई गई जिसके बावजूद वे  
न्यायालय से अनुपस्थित अतः पत्रावली  
असम दापरी असम पेशी में खारिज  
किए गयी हैं पत्रावली फैसल शुमार एवं  
गम्बर से कम की जाकर राखिल  
इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
टोंक (राज)